



प्रेस विज्ञप्ति

15.12.2025

माननीय विशेष न्यायालय) पीएमएलए(, पोर्ट ब्लेयर ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों, अर्थात् कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक)एएनएससीबीएल (के पूर्व अध्यक्ष; के .मुरुगन, प्रबंध निदेशक) एएनएससीबीएल(; के .कलैवानन, ऋण अधिकारी)एएनएससीबीएल (और संजय लाल) कुलदीप राय शर्मा के सहयोगी (की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। उक्त 4 आरोपियों ने माननीय विशेष न्यायालय) पीएमएलए(, पोर्ट ब्लेयर के समक्ष जमानत याचिकाएं दायर की थीं, जिसे दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद दिनांक 12.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

माननीय विशेष न्यायालय ने अपने दिनांक 12.12.2025 के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है जो अंडमान और निकोबार स्टेट कोआपरेटिव बैंक धोखाधड़ी और संबंधित मुखौटा (शेल) कंपनियों से उत्पन्न धन शोधन गतिविधियों में सभी चार आरोपियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए विभिन्न बयानों पर भी भरोसा जताया और टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तियों की मिलीभगत से मुखौटा (शेल) कंपनियां बनाई गईं और बैंक के धन को धोखाधड़ी से वितरित किया गया और बड़ी रकम कुलदीप राय शर्मा को रिश्वत के रूप में भेजी और भुगतान की गई और अचल संपत्ति अर्जित की गई। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् कुलदीप राय शर्मा और संजय लाल ने धोखाधड़ी से संबंधित सबूतों को नष्ट कर दिया और आगे यह भी टिप्पणी की कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी उचित थी, जिससे पीएमएलए की धारा 45 के तहत सभी आरोपियों की जमानत नामंजूर कर दी गई।

ईडी ने कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार स्टेट कोआपरेटिव बैंक (एएनएससीबीएल) के पूर्व अध्यक्ष सहित ऊपर उल्लिखित चार व्यक्तियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, ईडी ने 14.11.2025 को पोर्ट ब्लेयर में पीएमएलए के तहत माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों सहित 39 लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

ईडी ने इस मामले में अपराध एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, अंडमान और निकोबार पुलिस द्वारा कुलदीप राय शर्मा और बैंक के विभिन्न अन्य व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित है, जो एएनएससीबीएल के अधिकारी थे और संजय लाल और संजीव लाल के साथ मिलीभगत करके बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार थे। इन व्यक्तियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई मुखौटा कंपनियां बनाई और उन्हें तथा उनकी नियमित संस्थाओं को बड़ी मात्रा में ऋण स्वीकृत किए, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन का पुनर्भुगतान न करना था, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और वही लाभ उन्हें अपने लिए हुआ। अब तक एकत्र किए गए सबूतों से संकेत मिलता है कि विभिन्न फर्मों और मुखौटा कंपनियों के नाम पर 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से बैंक ऋणों का शोधन किया गया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और उक्त धोखाधड़ी/एनपीए में शामिल राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

आगे की जांच जारी है।